Need to provide water to the farmers in Shirdi Parliamentary Constituency

श्री सदाशिव किसान लोखंडे (शिर्डी): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र शिरडी में 55 सालों से किसानों को पानी नहीं मिल रहा था। मैं देश के पंत प्रधान नरेन्द्र मोदी जी का अभिनन्दन करना चाहता हूँ। वहां 55 सालों के बाद किसानों को पानी मिला है। इसके लिए वहां के किसान आनन्दित हैं। उस समय के महाराष्ट्र के नेता नितिन गडकरी साहब का, मुख्य मंत्री साहब का और उप मुख्य मंत्री साहब का भी मैं अभिनन्दन करता हूँ कि 55 सालों के बाद 182 गांवों को पानी मिला है।

पानी मिलने के बाद मेरे संसदीय क्षेत्र में जो घाटमाथा का पानी है, जो सह्याद्रि से समुद्र की तरफ जाने वाला पानी है, वह 115 टीएमसी पानी बांध के जरिए शिर्डी, नासिक और मराठवाडा को उपलब्ध करवाया जा सकता है। इससे किसानों को लाभ होगा। वर्ष 2005 में महाराष्ट्र में समान जल वितरण अधिनियम कानून पास किया गया, जिससे किसानों का जो हक है, चूँकि बिट्रिश काल में अकाल पीड़ित तहसीलों को पानी देने का निर्णय किया था, उसके तहत अकोले, संगमनेर, कोपरगाँव तथा श्रीरामपुर और मेवासा को न्याय मिला था, लेकिन उसके बाद वर्ष 2005 में समान जल वितरण अधिनियम कानून पास होने के बाद मेरे संसदीय क्षेत्र का पानी कम हो गया है। पानी को उपलब्ध करवाने के लिए मेरा एक सुझाव है कि घाटमाता का पानी उपलब्ध करवाया जाए। उसके लिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्ष 2005 में मराठवाडा में जायकवाडी डैम बनाया गया था। उसमें 109 टीएमसी पानी उपलब्ध है। महाराष्ट्र में नासिक नगर का जो पानी उपलब्ध है, वह 80 टीएमसी है। यह पानी उपलब्ध होने से हमें दिक्कत हो रही है। मैं आपके माध्यम से यह बोलना चाहता हूँ कि 115 टीएमसी पानी को उपलब्ध करवाया जाए। गोदावरी, मुला और प्रवारा नदी के ऊपर कोल्हापुरी बांध बनाकर 15 टीएमसी पानी हमेशा के लिए किसानों को उपलब्ध करवाया जाए और किसानों को न्याय मिले। इसके अलावा 5 टीएमसी जो कि अतिरिक्त पानी है, उसे संगमनेर, कोपरगाँव तथा श्रीरामपुर तहसील को उपलब्ध करवाया जाए। ये किसान पानी से वंचित है, उन्हें आप न्याय दिलाने का काम करें।

मैं शिर्डी से सांसद हूँ। बाबा का श्रद्धा और समृद्धि का संदेश है। मैं आपसे विनती करूंगा कि 115 टीएमसी पानी उपलब्ध करवाकर हमें 20 टीएमसी पानी उपलब्ध करवाया जाए। शिर्डी को 20 टीएमसी पानी दिया जाए। 10 टीएमसी पानी नासिक को दिया जाए और जो अतिरिक्त पानी है, उसको मराठवाडा और जायकवाडी को दिया जाए।

आप तुरंत महाराष्ट्र प्रशासन को निर्देश दीजिए तथा प्रस्ताव मंगवाकर राज्य की ओर से उसको मान्यता दिलवाइए।